न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील/RTI/108/22

राजेन्द्र प्रसाद रोहिला पुत्र श्री खेमचन्द रोहिला निवासी नला बाजार कांमा, जिला भरतपुर

..अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी जिला कलक्टर (सामान्य) भरतपुर

..रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 19.01.2023**

अपीलार्थी राजेन्द्र प्रसाद रोहिला पुत्र श्री खेमचन्द रोहिला निवासी नला बाजार कांमा, जिला भरतपुर की एक अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विरूद्ध अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भरतपुर इस बाबत् प्राप्त हुई है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।

प्राप्त अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक 41 दिनांक 11.1.2023 से लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने बाबत् रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, शाखा प्रभारी सामान्य अनुभाग कलै0 भरतपुर द्वारा पत्रांक 912 दिनांक 19.01.2023 से जबाब/रिपोर्ट प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया गया। साथ ही लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाब में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका कांमा से सम्बन्धित होने के कारण तत्समय ही पत्रांक 9780 दिनांक 11.10.2022 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र को अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका कांमा को भिजवा दिया गया था।

पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के स्तर पर कोई सूचना दिया जाना लम्बित नहीं है। अपीलान्ट अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका कांमा के खिलाफ आर.टी.आई की अपील, सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश करने को स्वतंत्र हैं।

अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति संलग्न) प्रेषित हो, निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित की जावे।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर
भरतपुर